न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनेश बनाम गिरधारी वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रा०पत्र 251 RTA   मु.नं. - 44/2013

सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 04.10.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

04.10.2023

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 44 / 2013
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2013 / 00151
दायर दिनांक :– 02.09.2013
निर्णय दिनांक :– 04.10.2023

उनवान प्रकरण

1. दिनेश पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल आयु 28 वर्ष
2. शंकरलाल पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल आयु 26 वर्ष
3. महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल आयु 20 वर्ष
4. कमलेश पुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल आयु 18 वर्ष
5. सन्तरा बेवा गोपाल आयु 50 वर्ष
6. जगमाल पुत्र गजानन्द आयु 45 वर्ष
7. मदनलाल पुत्र गजानन्द आयु 40 वर्ष
8. औंकारमल पुत्र गजानन्द आयु 36 वर्ष
9. छोटी बेवा गजानन्द आयु 70 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. गिरधारी पुत्र गोपीराम आयु 58 वर्ष
2. मदनलाल पुत्र गोपीराम आयु 52 वर्ष
3. चोथमल पुत्र सुरजाराम आयु 50 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
04/10/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

4. बनवारी लाल पुत्र सुरजाराम आयु 47 वर्ष
5. किशोर कुमार पुत्र सुरजाराम आयु 45 वर्ष
6. नाथी देवी बेवा सुरजाराम आयु 69 वर्ष

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

7. पटवारी हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
8. उपपंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
9. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—अप्रार्थीगण—

—:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** ::—

उपस्थितिः—

1. **श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक —प्रार्थीगण की ओर से ।**
2. **श्री मुकेश कुमार ढ़ेणवाल, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या— 1, 2, 4 से 6 की ओर से।**
3. **तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 9 की ओर से।**

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 367, 368 कुल किता 2 कुल रकबा 4.33 हैक्टर तन् ग्राम हासंपुर पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। भूमि खसरा नम्बर 368 के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि में मय पशुधन मय परिवार पुख्ता मकान बनाकर काबिज व आबाद हैं। प्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु भूमि खसरा नम्बर 368 में आने—जाने हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता हैं तथा आने—जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही हैं। इस कारण प्रार्थीगण का आवागमन तथा कृषि कार्य करना दूभर हो गया हैं तथा प्रार्थीगण [illegible] आने जाने हेतु रास्ते के लिये मोहताज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

हो रहे है। प्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 368 मे आने–जाने के लिये 12 फुट चौडाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है। इसलिये प्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 370, 369 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौडा रास्ता खुलवाया जाकर रास्ते के रूप मे नक्शे मे काटा जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उक्त रास्ता ही प्रार्थीगण के लिये लघुतम रास्ता पडता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा भूमि खसरा नम्बर 370 के पूर्वी तरफ भूमि खसरा नम्बर 371 चारागाह भूमि पडती है। जिसमे से होकर प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे काश्त के आने–जाने हेतु एकमात्र लघुतम रास्ता है। प्रार्थीगण की काश्त की भूमि मे आने जाने का उपरोक्त के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण मय परिवार अपनी खातेदारी व रिहायशी भूमि एंव मकानात पशुधन सहित आबाद है। प्रार्थीगण उक्त भूमि खसरा नम्बर 368 में कृषि कार्य नही करने तथा रास्ते के अभाव से प्रार्थीगण एंव प्रार्थीगण के परिवार व पशुधन का जीवन संकट में पडा हुआ है तथा रास्ता नही मिलने पर प्रार्थीगण एंव इनका परिवार पूणरूपेण बरबाद हो जावेगे तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के लिये रास्ते के अभाव में मोहताज हो रहे हैं। प्रार्थीगण को रास्ता नही मिलने से प्रार्थीगण चारो ओर से हताश एंव निराश होकर माननीय न्यायालय की शरण में आया है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि के एवज में वर्तमान डी. एल. सी. दर की राशि देने को तत्पर एंव तैयार है। इसलिये प्रार्थीगण की काश्त की भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता आमद रफत हेतु खुलवाया जाना व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित एंव अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को तन् ग्राम हांसपुर की अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 368 में आने–जाने के लिये 12 फुट चौड़ाई के रास्ता भूमि खसरा नम्बर 370, 369 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अमल दरामद करवाया जावे एवं रास्ता का अवरूद्ध हटाकर आमद रफत चालू करवायी जावे। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस मे गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का [illegible] वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 से 6 की ओर से श्री मुकेश ढेणवाल एड0 उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सख्या 1, 2, 4 से 6 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु दिनाक 13.09.2013 से आदिनांक तक कुल 102 अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण को जवाबदेही बन्द की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 3, 7 ता 9 की तामील असालतन होकर लोटी है। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68—70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट चाही जाने बाबत लिखा गया। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्राक 919/राजस्व/2023 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू. अभिलेख निरीक्षक श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का हांसपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया कि खसरा संख्या 367 एवं 368 में आवागमन के पहुंच हेतु राजस्व ग्राम हांसपुर के भूमि खसरा संख्या 369, 370 किता 2 की वस्तुस्थिति रिपोर्ट में खसरा सख्या 369, 370 की खातेदारी गिरधारी लाल पुत्र गोपीराम, पार्वतीदेवी पुत्री गोपीराम, मदन लाल पुत्र गोपीराम एवं सुरजाराम पुत्र बलाराम जाति बलाई के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात खसरा संख्या 367 एवं 368 में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इसमें आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा संख्या 369 एवं 370 में से रास्ता चाहा गया है। जो राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ते में सबसे निकटतम है। [illegible] संख्या 367 एवं 368 में आवागमन का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। [illegible] की अत्यधिक आवश्यकता है। खसरा नम्बर 369, 370 के [illegible] देने हेतु सहमत नही है। खसरा नम्बर 367, 368 तक पहुंच हेतु जो प्रार्थीगण [illegible] स्वयं की खातेदारी भूमि है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जि.

लघुत्तम / निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 369, 370 मे से होकर जाता है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे कटानी रास्ते से सबसे निकटतम है। खसरा नम्बर 369 मे रास्ते की लम्बाई 50 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 200 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 370 मे रास्ते की लम्बाई 56 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 224 वर्गमीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 424 वर्ग मीटर भूमि होती है। डी.एल.सी. दर के अनुसार उक्त रास्ते की भूमि की किमत 34344/- अक्षरे चौतीस हजार तीन सौ चवालीस रूपये होना अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित रास्ते के रूप मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाया गया है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए उसी अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने बाबत सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण के द्वारा किया गया है।

वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 - (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का हासपुर, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी0 एल0 सी0 दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण अपने खेत भूमि खसरा नम्बर 368 में आने-जाने आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 370, 369 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे होता हुआ 12 फुट का गैर [illegible] जो लघुत्तम होने तथा उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक [illegible] होने से उक्त रास्ता दिलवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) [illegible] एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। खसरा नम्बर 370 के पूर्वी तर[illegible] भूमि खसरा नम्बर 371 किस्म चारागाह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
04/10/21
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-[illegible]

भूमि होने से उक्त रास्ता आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम रास्ता होना प्रकट होता है। भूमि खसरा नम्बर 369 मे रास्ते की लम्बाई 50 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 200 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 370 मे रास्ते की लम्बाई 56 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थात 224 वर्गमीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 424 वर्ग मीटर भूमि होती है। डी एल.सी. दर के अनुसार उक्त रास्ते की भूमि की किमत 34344/– अक्षरे चौतीस हजार तीन सौ चवालीस रूपये होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) मे रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध मे एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 12 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 12 फुट चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर अ[illegible] आवश्यकता होने तथा मुख्य सडक व मुख्य आबादी से निकटतम / लघुत्तम [illegible] प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
04/10/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

द्वारा प्रस्तुत सलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त सलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरो से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा मे प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरो से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 368 तन् ग्राम हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर में आने–जाने आवागमन हेतू भूमि खसरा नम्बर 370, 369 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे होता हुआ गैर मुमकिन रास्ता जो खसरा नम्बर 368 को गैर मुमकिन रास्ते से जोडता है। उक्त [illegible] में काम आने वाली भूमियो का वर्तमान बाजार दरों से मूल्यांकन [illegible] उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि राज्यकोष में जमा ली जानी है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला–

द्वारा प्रस्तावित मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा ट्रेस एव पर्चा रिपोर्ट मे दर्शित 12 फुट चौडाई की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता के रूप मे संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग मे आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। चूंकि रास्ते मे लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियो की खातेदारी से (रकबा रास्ता कम करने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 368 मे दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरो की दुगुनी दरो से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्याकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

यह निर्ण[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:14 IST
Reason: SelfAttested

04/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना